कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-118/2016-17/

दिनांक : /06/2017

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, बागेश्वर,

जनपद - उधमसिहं नगर

विषय : जिला पंचायत, बागेश्वर का वर्ष 2014-2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग -4 (ब)-1 में शुन्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के 01 प्रस्तर** हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 118/2016-17/ दिनांक : /06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-16 के लिये जिला पंचायत, बागेश्वर पर प्रारुप निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री हरीशचन्द्र सिंह ऐंठानी.	-	अध्यक्ष(जिला पंचायत)
श्री आर.के पन्त	-	अपर मुख्य अधिकारी (प्रभारी)
	-	अपर मुख्य अधिकारी
(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम	(i)	श्री पी.पी.सिंह, ले.प.अ.
	(ii)	श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ.
	(iii)	श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.
	(iv)	श्री रविन्द्र सिंह ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 28.03.2017 से 05.04.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-2015 से 2015-2016 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम: **जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:- 03

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र :- 2235.51 वर्ग किमी

जनसंख्या : 245454

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या:- 20

3.(अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

4.(ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 06

5. कर्मचारियों की संख्या: 39

6. पंचायतराज की सम्पतियां: - -

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय:

(अ) सामान्यः- -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत, बागेश्वर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-2015 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ, श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ. तथा श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ. एवं श्री रवीन्द्र सिहं, ले.प. द्वारा दिनांक 28.03.2017 से 05.04.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**	**स्टैन**
555/	1,	1,2,3	1,2

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - -

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-1(अ) - एस.सी.एस.पी. योजना अन्तर्गत ` 178.89 लाख के कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में जारी दिशा निर्देशों एवं अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नयिमावली-2008 के नियम 22(1) में प्रावधानित है कि सामान्यतया ठेकेदारों को अग्रिम का भुगतान कार्य सम्पादित करने/आपूर्ति करने के उपरान्त ही किया जाना चाहिये तथा 22(2) के अनुसार निजी फर्मों को अनुबन्ध के मूल्य का 30 प्रतिशत तक ही अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिये। तथा पर्याप्त सुरक्षा की दृष्टि से बैंक गारंटी ली जानी चाहिये।

अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें स्वीकृत की गयीं थी, जिसकी कार्यदायी संस्था जिला पंचायत थी। जिला समाय कल्याण अधिकारी द्वारा निर्देशित था [1] कि स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने की पुष्टि के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना था।

यह भी सुनिश्चित करना था कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना से पूर्व में स्वीकृत/संचालित न हों। योजना अन्तर्गत बागेश्वर में ` 178.89 लाख के कुल 20 कार्य सम्पादित कराये जाने थे।

इकाई की लेखा परीक्षा (मार्च 2017) में उपरोक्त योजना की चयनित पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि कार्यों को सम्पादित कराने हेतु आगणन गठित कर तीन कोटेशन के आधार पर कार्यों का आवंटन किया गया था, जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 12(1), 12(3) के प्रतिकूल था। योजना के शर्त के अनुपालन में एस.सी. बाहुल्य क्षेत्रों में कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पत्रावली में संलग्न नही थे आगे यह भी देखा गया कि ठेकेदार के प्रार्थना-पत्र पर अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरुद्द अनुबन्ध मूल्य का 40 प्रतिशत ठेकेदारों को अग्रिम दिया गया था तथा इन अग्रिमों के दिये जाने में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बैंक गारंटी आदि नही लिया गया था। इस प्रकार ठेकेदारों को कार्यों के आवंटन एवं क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी तथा बताया गया कि दिये गये अग्रिमों के समायोजन का अग्रिम पंजी के माध्यम से अनुश्रमण किया जाता है, भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः एस.सी.एस.पी. योजना अन्तर्गत `178.89 लाख के 20 कार्यों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न कर कार्य के आवंटन किये जाने एवं बिना किसी धरोहर राशि के ठेकेदारों को अग्रिम देकर लाभ दिये जाने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता हैं।

---

[1] पत्रांकः 663-69/स.क./एस.सी.एस.पी./2015-16 दिनांक 25.06.2015

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-2(ब) जिला योजना अन्तर्गत सम्पादित ` 138.00 लाख के 8 कार्यों में विभिन्न स्तरों पर अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 12 (1) के अनुसार ` 15.00 लाख के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सीमित निविदा प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। 12(3) के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रतिस्पर्धात्मक दरों की प्राप्ति हेतु अधिक निविदायें प्राप्त हों। नियम 22(1) के अनुसार कार्य के सम्पादित होने पर ही अग्रिम दिया जाना चाहिये तथा निजी फर्मों को यह अग्रिम अनुबन्ध मूल्य का 30% होना चाहिये तथा बैंक गारंटी आदि जमा कराकर अग्रिम दिया जाना चाहिये।

इकाई की लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों पर आगणन गठित कर उनके आवंटन एवं क्रियान्वयन के बिन्दुओं की जाँच की गयी। बिन्दुवार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

(i) आगणन का गठनः-
आगणन के गठन में मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप के दर सम्बन्धी प्रावधानों, जिसमें ढुलान हेतु पैदल टूटी के आधार पर अलग से दरें चार जोन बनाकर प्रावधानित थी, को लागू करने हेतु टूटी की माप सम्यक रुप से मापित नही थी।

(ii) कार्य का आवंटनः-
उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के अनुपालन न कर तीन कोटेशनों के आधार पर ही कार्यों को आवंटित किया गया था, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(iii) अग्रिम जारी करनाः-
अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों 22(1) एवं 22(3) के विरुद्द ठेकेदारों को अग्रिम दिये गये थे।

(iv) माप पुस्तिका में सम्यक् माप के बिना ही अग्रिम एवं अन्य चलित भुगतान किये गये थे।

इस प्रकार जिला योजना अन्तर्गत सम्पादित कराये गये ` 138.00 लाख के 08 कार्यों में आगणन गठन, आवंटन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रावधानों का पालननहीं किया गया था। इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता एवं उस पर हुये अधिक व्यय की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि सम्बन्धित आगणनों की जाँच हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं अभियन्ता को निर्देश जारी कर अधिक भुगतान की दशा में वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-2 (अ) विभव एवम् सम्पत्ति कर के रुप में ` 36.29 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (जो उत्तराखण्ड मे भी लागू है) की धारा 237 के अधीन जिला पंचायत द्वारा जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों से विभव एवम् सम्पत्ति कर के अधिरोपण हेतु जनवरी 2013 को नियमावली की धारा 6(2) के अनुसार ` 35000 वार्षिक आय से अधिक आय पर वैभव एवम् सम्पत्ति कर लागू किया जाना है। नियमावली की धारा 6(2)(क) एवम् (ग) के अनुसार कर की दर 03 पैसे प्रति रुपया होगी और अधिकतम कर की धनराशि ` 15000 होगी।

विभव एवम् सम्पत्ति कर की पंजिका एवम् उससे सम्बंधित अन्य अभिलेखो की जाँच मे पाया गया कि जिला पंचायत बागेश्वर द्वारा वर्ष 2014-15 एवम् वर्ष 2015-16 में खड़िया व्यवसाय, होटल व्यवसायी, पैट्रोल पम्प मालिक एवम् अन्य व्यवसायियों पर कर की धनराशि ` 36.29 लाख अधिरोपित किये गये है परन्तु उक्त व्यवसायियों से कर की धनराशि वसूली नही गयी है, यघपि जिला पंचायत द्वारा बकाया कर दाताओ को नोटिस भेजे गये है। लम्बित वसूली के बारे में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि विभव एवम् सम्पत्ति कर की वसूली वर्ष 2015-16 मे प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में ग्रामीण व्यवसायियों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति एवम् स्टाफ न होने के कारण वसूली न्यून हैं। शासन से स्टाक की माँग की गयी है। वर्तमान मे लाईसेन्स वसूली के कर्मचारियो द्वारा वसूली की जा रही है भविष्य मे वसूली हेतु भू-राजस्व के तहत कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभव एवम् सम्पत्ति कर जिला पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। इतनी बड़ी धनराशि की वसूली यदि समय पर हो जाती तो प्राप्त धनराशि का उपयोग विकासात्मक कार्यों मे होता तथा जनता को इसका लाभ मिलता।

अतः ` 36.29 लाख की लम्बित वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-2 (ब) जिला पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानों का किराया ` 23.54 लाख की धनराशि की वसूली लम्बित रहना।

जिला पंचायत बागेश्वर के स्वामित्व वाली दुकाने किराये पर दी गयी है। दुगबाजार बागेश्वर मे 44 दुकाने एवम् कत्यूर बाजार में 19 दुकाने स्थित है। किराये की वसूली मासिक होनी थी। दुकान किराया से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि वर्ष के अन्त तक ` 23.54 लाख की वसूली अवशेष है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

वर्ष की माँग	2200767/-
1.04.16 को अवशेष	1686159/-
कुल योग	38,86,926/-
वर्ष के दौरान वसूली (31.03.2017)	1532602
अवशेष धनराशि	2354324.00

उपर्युक्त अवशेष वसूली के सम्बन्ध मे लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि स्टाफ की कमी के कारण वसूली नही हो पा रही है बकायेदारो को नोटिस जारी कर दिये गये है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त दुकाने जिला पंचायत के स्वयं के स्वामित्व की है। यदि वसूली नियमित नही हो रही है तो इसके लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए थे अभिलेको मे कही कठोर कार्यवाही के प्रमाण नही मिले। यदि वसूली नियमित होती तो जिला पंचायत की आय मे वृद्धि होती।

अतः लम्बित वसूली का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-3 भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों से कटौती न करके कल्याण बोर्ड निधि मे न जमा किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-740/VIII/14-680 (श्रम) 2002 टी.सी. -II दिनांक 13.08.2014 के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो मे नियोजित श्रमिको के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम - भवन एवम् सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवम् सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवम् भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये है, जिसमे निर्माण श्रमिको के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओ जैसे पैंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चो की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट्स के रुप मे सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है। उक्त अधिनियम मे पंजीकृत श्रमिको के कल्याणकारी योजनाओ के लिए धन की व्यवस्ता हेतु निर्माण अधिष्ठानो द्वारा अपने निर्माण कार्यो की लागत का 1% (एक प्रतिशत) उपकर के रुप मे कल्याण बोर्ड की निधि मे जमा किये जाने का प्रावधान था। इसके अन्तर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिनमे 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिको विगत एक वर्ष मे किसी भी दिन नियोजित रहे हो।

शासन के पत्र दिनांक 10.04.2013 के द्वारा विभाग मे उपकर निर्धारण एवम् संग्रहण हेतु अधिकारी को नियुक्त किया जाना था।

कार्यालय जिला पंचायत बागेश्वर मे निर्माण से सम्बंधित अभिलेखो की जाँच मे पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा न तो ठेकेदारो के बिलो से उपकर की कटौती की जा रही है और न ही निर्माण कार्यो के आगणनो मे 1% उपकर की कटौती का प्रावधान किया गया है।

लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि शासनादेश के अप्राप्त होने से उपकर नही काटा गाय भविष्य मे 1% उपकर काटा जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उपकर की कटौती के सम्बंद में उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2014 मे निर्देश जारी कर दिये गये थे तथा उससे पूर्व मे भी शासनादेस जारी किये गये थे। जिला पंचायत द्वारा शासनादेश का अनुपालन नही किया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 4 खण्ड ब-2

प्रस्तरः-4 विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 34.82 लाख राजकोष मे जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.) 2013 दिनांक 17.1.2013 के अनुसार विभिन्न मदो के तहत आवंटित धनराशि जैसे राज्य वित्त, केन्द्रीय वित्त, सांसद निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई., मनरेगा आदि की धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैंको मे जमा रहती है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, उस अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष (0049 ब्याज प्राप्तियाँ) मे जमा कराया जाना चाहिए।

विभिन्न मदो से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि उक्त मदो के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 34.82 लाख की धनरासि राजकोष मे जमा करने के बजाय जिला पंचायत के खातो मे पड़ी है। लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की धनराशि राजकोष मे जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि ब्याज की धनराशि लम्बे समय से विभाग के खातो मे पड़ी हैं।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1:- कौसानी अतिथि गृह से प्राप्त राजस्व को नियमित रुप से विलम्ब से खाते में जमा कराया जाना।

शासकीय राजस्व प्राप्तियों को उसकी प्राप्ति यथाशीघ्र राजकोष अथवा अन्य सम्बन्धित लेखे में जमा कर दिया जाना चाहिये।

इकाई की लेखा परीक्षा में जिला पंचायत के वर्गीकृत सार पंजी वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अवलोकन में देखागया कि कौसानी स्थित डाक बंगले (अतिथि गृह) के प्राप्तियों को प्राप्ति के 15-30 दिनों में सम्बन्धित खाते में जमा किया जा रहा था, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल प्राप्ति क्रमशः ` 4.10 लाख एवं 7.95 लाख था। इस प्रकार प्राप्त आय को नियमानुसार विलम्ब से खाते में जमा किया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अतिथि गृह का खाता कौसानी में न होने के कारण धनराशि को समय-समय पर कार्यालय के खाते में ही जमा किया जाता है।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता हैं क्योंकि संग्रहित नगद राजस्व को यथा शीघ्र खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित था।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0

भाग तीन- लेखा विवरण

मद का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
प्रारम्भिक अवशेष वर्ष में प्राप्तियाँ	480.65	854.96	979.36
1. केन्द्रीय वित्त आयोग	214.59	143.13	-
2. राज्य वित्त आयोग	328.00	323.00	338.60
3. सांसद निधि	51.24	7.75	9.13
4. विधायक निधि	188.75	298.60	294.53
5. आपदा राहत	282.26	11.10	40.86
6. पर्यटन	28.62	235.00	206.59
7. मनरेगा/अन्य	-	-	5.00
8. लघु सिंचाई/एस.सी.पी.	57.62	11.93	174.97
9. जिला योजना	-	-	478.00
10. स्थापना मद	-	-	9.98
11. युवा कल्याण	-	-	20.58
12. जिला निधि	36.85	55.79	50.16
13. ब्याज	14.34	11.99	12.00
14. प्रकीर्ण आय	35.01	55.66	22.40
कुल आय	**1717.93**	**2008.91**	**2642.16**
वर्ष के दौरान व्यय	**862.97**	**1029.55**	**1439.83**
अंतिम अवशेष	**854.96**	**979.36**	**1202.33**

लेखे पर टिपण्णीः-

1. वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2015-16 के दौरान उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत क्रमशः 50.51 एवं 54 था।
2. वित्तीय वर्षों 2013-16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतो से इकाई की निजी आय क्रमशः ` 36.85, ` 55.79/- एवं ` 50.16 लाख था जो कुल प्राप्तियों का क्रमशः 2%,3% एवं 2% प्रतिशत था।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान मनरेगा मद में प्राप्त राशि `5.00 लाख, स्थापना मद में ` 9.98 लाख एवं युवा कल्याण मद में ` 20.58 लाख का व्यय नही किया गया था।
4. उ.प्र. जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा ड्राफ्टसमैन पद पर नियुक्ति की गयी थी तथा उत्तराखण्ड शासन से निर्देशों की प्रात्याशा में जिला निधि से वेतन आहरित किया जा रहा था।